



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,

New Delhi-110044, INDIA

Tel.: +91-11-26991508, 26991509 Fax: +91-11-26991510

Email: aksh@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com CIN NO.: L24305RJ1986PLC016132

August 28, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited	
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	omplex, Phiroze Jeejeebhoy Towers	
Bandra(E), Mumbai – 40005	Dalal Street, Bombay-400 001	

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication published in "The Financial Express" and "Lokmat" in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, regarding 33rd Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 21, 2020 at 11: 30 a.m. through video conferencing / other audio visual means.

Kindly acknowledge the same.

For Aksh Optifibre Limited



Gaurav Mehta Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

Phones: +91-1493-220763, 221333 | Fax: +91-1493-221329

FINANCIAL EXPRESS

Place Murat Bata 28th August, 2020

Managing Director

(1)

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phisse -III, Bhiwadi -301019, Rajasthan Phone No., 91-1493-220763, 221333, Fax No. 91-1493-221329
Corporate Office: A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mahhura Road, New Delhi- 110044
Tel: No. 011-49991700, Fax No. 011-49991800
E-mail: Invostor, relations@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com

Information regarding 33rd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

Video Conferencing/Other Audio Visual Means

The 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Aksh Optifibre Limited ("the
Company") will be held on 11:30 A.M. on Monday September 21, 2020, through video
conferencing("VC") / other audio visual means ("OVAM), in compliance with the applicable
provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular no. 20/2020 dated May 5,
2020, General Circular no. 14/2020 dated April 8, 2029 and General Circular no. 17/2020 dated
April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (hersinafter
collectionly referred to as "MCA Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 and Circular no. SEBI/HOVED/CMD1/CIR/P/2020/79 dated
May 12, 2020 ("SEBI Circular"), to transact the business as set out in the notice of AGM.
In compliance with the above circulars, Alectropic conies of the Moleco of the CAM alternative

May 12, 2020 (Select circular), to transact the business as set out in the notice of AGM. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2019-20 will be earn only through email to those members whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s). These documents will also be available on the website of the Company at www.akshoptifibre.com; the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company's RTA (https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx).

the Company's RTA (https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx).

The Company's providing to its members in facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged KFI in to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participated in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demail form or physical form and for the members, who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2019-2020 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VACAAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below.

- For Members holding sheres in physical form, please send scen copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self attested copy of the PAN and any decument (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to eigward ris@kfintech.com.
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.
- Members who have not registered their o-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of a-AGM and s-voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with the Company's RTA, KEnTech by accessing the link https://ris.kfintach.com/amail_registration.

for Aksh Optifibre Limited

Place: Nolda Date: August 25, 2020

Gauray Mohta Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

For an aby given pursuant to Section 91 of the Act read with the e-tompanies (Management and Administration) Rules, Askari 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure h) Asked stions, 2015, that the Register of Members and the www.e oks of the Company will remain closed from helpdn 12, 2020 to Thursday, September 17, 2020 (both 23058 man closing.

For Niyogin Fintech Limited Neha Agarwal Gompany Secretary & Compliance Officer

Date : Aug 20 Place: Kolk

h - 110037

ENDED JUNE 30, 2020

Consolidated		
rter ended		Year ended
03.2020)	(30.06.2019)	(31.03.2020)
L in Lacs)	(Rs. In Lacs)	(Rs. in Lacs
Audited)	(Unaudited)	(Audited)
9,554.33	10,143.91	43,118.36
(70.84)	(351.09)	922.15
347.52	(351.09)	922.15
(547.27)	(931.29)	98.95
		N - 1 M
(491.91)	(930.79)	152.69
1,165.12	1,165.12	1,165.12
		LI TALIAN
. (4.70)	(7.99)	0.85
(4.70)	(7.99)	0.85
	rer ended 03.2020) in Lecs) Audited) 9,554.33 (70.84) 347.52 (547.27) (491.91) 1,165.12	rer ended 03.2020) (30.06.2019) in Lacs) (Rs. in Lacs) Audited) (Unaudited) 9,554.33 10,143.91 (70.84) (351.09) 347.52 (351.09) (547.27) (931.29) (491.91) (930.79) 1,165.12 1,165.12

Note: Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligation Thenhotelswest.com) and will also be available on and

By order of the Board of Directors

SANDEEP GUPTA **EXECUTIVE WHOLE - TIME DIRECTOR** DIN: 00057942

Dat Pla

the





विरुद्ध दत्तवास थाने में मुकदमा दर्ज

निवाई। ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग सरपंच व सचिव सहित पांच जनों के विरुद्ध इस्तगासे से दत्तवास थाने में मकदमा दर्ज हुआ है और जिसकी जांच थानाधिकारी महिपाल सिंह करेंगे। थानाधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि मौसम कुमावत ने इस्तगासे से मुकदमा दर्ज करवाया है कि ग्राम पंचायत करेडा बजुर्ग की सरपंच बीना जाट ने सरपंच के चनाव में षडयंत्र पूर्वक संतान संबंधी फर्जी दस्तावेज पेश किए जो पूर्णतया फर्जी है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले की ग्राम विकास अधिकारी बजरंगलाल मीणा, सरपंच पति हनुमान जाट, अशोक जाट व सीता जाट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

भाद्रपद की अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने की कनक दंडवत



निवाई। भादपद की अष्टमी पर बुधवार को तीन गांवों के सैंकडों श्रद्धाल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ कनक दण्डवत करते हुए ज्वालामुखी माता मंदिर पहुंचे। यह जानकारी देते मोतीलाल मीणा ने बताया अष्टमी पर गांव गुबुआनंदपुरा, छोटी बरथल व बडी बरथल के सैंकड़ों श्रद्धाल सरकारी गाइड लाइन के अनुसार कनक दण्डवत करते ज्वालामुखी मंदिर आए। जहां माता के दरबार में मात्था टेंका। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संकीर्तन कर माता के दरबार में प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान मुख्य रूप से राजाराम मीणा, श्योलाल

मीणा, बद्रीनारायण, शंकरलाल, मन्नालाल, गंगासहाय सहित कई लोग मौजद थे।

करम क ।हार् ।अअअ काअआआगा अमामा चाहिए लेकिन इसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। ये विचार उन्होनें उदयपर जिला सहकार संघ द्वारा बधवार आयोजित वर्चअल वेबिनार में गृह निर्माण सहकारी समितियां एवं सहकारिता विषय पर मुख्य वक्ता के नाते बोलते हुए व्यक्त किये।

उन्होंनें कहा कि समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास का मुख्य आधार सहकारिता ही है एवं वाइट रेवोल्यपन ग्रीन रिवोल्यपन की तरह होम रेवोल्यपन के जरिये शहरी विकास में ऋान्ति लाई जा सकतो है।

सेठिया ने सहकारिता व गृह निर्माण सहकारी समितियों से सम्बन्धित कानून व इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 (1) (सी) में संस्थाओं के गठन का अधिकार दिया

०५अपुर आमाण ।प्रधापक पुराालक माणा ग कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से देव के प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध हो सकेगा व सरकारी योजनाओं का लाभ भी आमजन को मिल

राजस्थान

वार्ता के प्रारम्भ में सहकार संघ अध्यक्ष डाया लाल लबाना ने सभी सहभागियों का स्वागत उद्भवोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष किरण कमार नागौरी ने किया व आभार निदेषक अमृत मेनारिया ने व्यक्त किया।

संवाद कार्यक्रम में सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री प्रमोद सामर, चितौडगढ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की प्रबन्ध निदेषक वन्दना वजीरानी एवं निदेषक बालिकपन धृत, रमेष जागेटिया, दीपक बोलिया, नारायण सिंह चंदाना, देषराज गुर्जर, छगन मेघवाल आदि सम्पूर्ण मौजूद थे।

स्वीकृति के किये जा रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम ने बताया कि जोन-1 में भवानी सिंह रोड पर सडक सीमा में आ रहे पाँच भुखण्डों के अवैध बाउण्डीवालों को जेसीबी मशीन व मजदरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई जोन में पदस्थापित कनष्ठि अभियंता, सहायम अभियंता आदि की निशादेही में की

उन्होंने बताया कि जोन-4 में टोंक रोड पर तरूछाया नगर में पिंकसिटी मैरिज गार्डन के स्वामी द्वारा जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के करीब 12 दकानों का निर्माण किया जा रहा था जिन्हें जेसीबी व मजदरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड

CIN: L24305RJ1986PLC016132

पंजी. कार्यांसवः एफ-1080, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, मिवाडी-301019, राजस्थान फोन नंत: 91-1493-220763, 221333, फैन्स नंत: 91-1493-221329 कॉर्पोरेट कार्यालय ए-32, दूसरा फ्लोर, मोइन की-ऑपरेटिन इंडस्ट्रियल एस्टेट,

मधुरा रोज, गई दिल्ली-110044

फोन नंब: 011-49991700, फैक्स नंब: 011-49991800 ई गेलः Investor relations@akshoptifibre.com शेनरराष्ट्रः www.akshoptifibre.com

विढियो कॉन्कॅसिंग/अन्य ऑडियो विढियो मध्यमों के मध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 गई, 2020, सामान्य परिपत्र सं 14/2020 दिनांक n अप्रैस 2020 और सामान्य परिपत्र सं 17/2020 दिनांक 13 अप्रैस 2020 (इसके बाद संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में सदर्गित), सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एव प्रकटन आवश्कवताए) विनियम, 2015 और परिपत्र सं. सेवी/एवजी/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("संबी परिपत्र") के अनुपालन में एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्मादन के लिए अहा ऑप्टीफाइबर लिमिटेंड ("कंपनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक जाम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को जप. 11.50 बजे विटियो कॉन्क्रॅसिंग ('बीसी')/अन्य ऑडियो विडियो गान्यमाँ ('अएगीएम') के द्वारा आयोजित की जाएगी चपरोक्त परिपन्नों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से मेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / ठिपाँ जिटरी प्रतिभागी(याँ) के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.akshopstbre.com और रटॉक एक्सचेंच की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेंड www.bseindia.com और नेशनल रटॉक एक्समेंज ऑफ इंडिया लिगिटेड www.nssinda.com तथा कंपनी के आरटीए की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx) पर भी उपसब्ध होंगे।

कंपनी इलेक्ट्रॉनिक यद्धति ("ई--वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार वोग्य प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपन बोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध करा रही है और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्धादन किया जा सकता है। कंपनी रिमोट ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंकिन को नियुक्त किया है। सदस्यों को केंकिन ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदरवर्गण रिमोट ई-वोटिंग क्रोडेंशियल्स का उपयोग करके शेवरधारक ∕ सदस्य लॉगड्रन हें अंतर्गत http://evoting.k.arvy.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। विगेट प्रारूप या भौतिक प्रारूप में शेवर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई बोटिंग, बीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में उपरिवात होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विश्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

एंसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं कराया है और जो एजीएम की शुवना और वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना बाहते हैं तथा बीसी / ओएनीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु यूजर आईटी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं तथा एजीएम में ई-वोटिंग शिस्टम के माध्यम से बोट या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बोट देन बाहते हैं, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

- भौतिक प्रारूप में शेवर धारण करने वाले सदस्यगण कृपमा अपना फोलियो नम्बर, पूरा पता पैन कार्य सथा शदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में कोई एक दस्तावेज (जैसे द्वाइविंग लाइरॉस, पासपोर्ट, बैंक विकरण, आधार) की रकैन की गई रव-सत्वापित प्रति सहित पंजीकृत किये जाने वाले ई-मेल पते के साथ हस्ताशरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी einward ris@kfintech.com पर भेजकर इसे पंजीकृत कराएं।
- क्षिमेट पारूप में शेवर धारण करने वाले सदस्वगण कृपया अपने संबंधित क्षिपाँधिटरी प्रतिमानी के माध्यम से अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
- सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की सूचना और ई-बोटिंग दिशानिर्देश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वह कंपनी के आरटीए, केफिनटेक के दिक https://ris.kfntech.com/email_registration की एक्सेश करने वहां अपन ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर जस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं।

ज़रों क्या आप्टीफाइबर लिमिटेड

भि: 25 अगस्त, 2020

सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले ई मित्रों पर कार्रवाई

निवाई।

सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपात्र आवेदकों से सुविधा शुल्क लेकर सरकारी लाभ दिलाने वाले चार ईमित्र केन्द्रों को उपखंड अधिकारी रूबी अंसार पेनल्टी लगाकर बंद कर दिया और जांच के आदेश जारी कर दिए है। ईमित्र से ऑनलाइन किए गए पेंशन आवेदनों एवं दस्तावेजों की तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्राजंल कंवर द्वारा गहनता से जांच की गई और जांच में ईमित्र धारकों

द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में फोटोशॉप द्वारा हेराफेरी करने का मामला सामने आया। जिसके बाद तहसीलदार प्राजल कंवर ने ईमित्र केंद्रों पर कार्यवाही हेत उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने गांव दत्तवास में संचालित ई मित्र केंद्र रामअवतार वर्मा, गांव सींदरा ई मित्र केंद्र राजकमार वर्मा, गांव सिरस में ई मित्र केंद्र शहाब्दीन खान और गांव हिंगोनिया में ई मित्र केंद्र जगदीश गुर्जर पर कार्यवाही करते

जुर्माना लगाया। उपखंड अधिकारी ने प्रत्येक ई मित्र केंद्र पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाकर चारों इंमित्र केंद्रों को बंद कर दिया तथा जांच के आदेश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने बताया कि इन ई मित्र केंद्रों पर अपात्र आवेदकों की पेंशन भी निरस्त की जाएगी पूर्व में किए गए एवं नए पेंशन आवेदनों और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की जा रही है इनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर इं मित्र एवं आवेदक के विरुद्ध कई कार्रवाई की जाएगी।